

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,  
विशेष कार्याधिकारी,  
30 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 31 जनवरी, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद स्वार जनपद रामपुर को पूर्व में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद स्वार, जनपद रामपुर को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजनान्तर्गत निकाय द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना में इंगित कार्यों हेतु रुपये 839.965 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, प्रथम किश्त के रूप में रुपये 420.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। तत्क्रम में नगर पालिका परिषद स्वार द्वारा अपने पत्र संख्या-432/न.पा.प.स्वा./2016-17 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा योजना के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में जारी किये गये शासनादेश संख्या-116/2016/1228/आ.न.यो./नौ-8-2016-04आ.न.यो.(बजट)/2016 दिनांक 01 सितम्बर, 2016 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद स्वार, जनपद रामपुर को चालू कार्यों हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रुपये 419.965 लाख (रुपये चार करोड़ उन्नीस लाख छियानवे हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक" 2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01-आदर्श नगर विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" में उपलब्ध बचत से पुनर्विनियोग कर लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01-आदर्श नगर विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

ओम

4. निदेशक नगरीय निकाय द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि को नागर निकाय के आदर्श नगर योजना के संचालन हेतु खोले गये पृथक राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में शासन के कार्यालय जाप दिनांक 23.03.2015 में निर्धारित व्यवस्थानुसार आगामी 07 दिवस के अन्दर ई-पेमेन्ट के माध्यम से सम्बन्धित निकाय के बचत खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी।
5. यह भी सूच्य है कि उपर्युक्त निकाय को अवमुक्त की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2017 तक के लिए निर्धारित है। अतः उक्त अवधि में द्वितीय किश्त की धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
6. सम्बन्धित नगर पालिका परिषद को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित उल्लिखित शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
7. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-बी.एम.-9 प्रपत्र

भवदीय,



( उमाशंकर सिंह )

विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-11/2017/43आ.न.यो.(1)/नौ-8-17 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. जिलाधिकारी, रामपुर, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
6. अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर पालिका परिषद स्वार जनपद रामपुर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,



( उमाशंकर सिंह )

विशेष कार्याधिकारी

अग

**बीएमओ-9 (भाग-1)**  
**पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/रवीकृति**  
**(संवर्ष: बजट मैनुअल का प्रस्ताव-158)**

(इस प्रपत्र को भरते से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को ध्यान-पूर्वक देख लिया जाय)  
 राजस्व लेखा

अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग

वित्तीय वर्ष : 2016-17


निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकल्प				(धनराशि हजार ₹ में)	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकल्प की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	संकल्प के परभावतः अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक को तथा मध्यम श्रेणी के नगरों-03-राष्ट्रीय विस्तर-2217" परिभाषित क्षेत्र/नगर प्रशासकीय-193-का संगठित विकास और-04-शाहजहाद निवासियों कोराशियाँ या उसके समतुल्य नगर-01-पदेश व्यापार विकास निधि से व्यय प्रयोग परिसंपत्तियों के गृहण हेतु -35-विकास योजना	1650000	459019	200000	200000	1450000
<b>योग</b>	1650000	459019	200000	200000	1450000


निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकल्प				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकल्प हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुभूित संकल्प की धनराशि	संकल्प के परभावतः उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8 + 11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या 37-के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक को तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का परिभाषित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को शाहजहाद-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01-पत्रों नगर विकास योजना -35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के गृहण हेतु अनुदान	350000	550000	200000	200000	550000
<b>योग-</b>	350000	550000	200000	200000	550000

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण।
2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:- नगर पालिका परिषद मक में कम बजट व्यवस्था होने तथा नगर पालिका परिषदों से प्राप्त प्रस्तावों के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता।
3. प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्ताव-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों / परिशिष्टों को उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:-301/ई-8-3186/दस-2016, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

सेवा में,  
 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,  
 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

  
 (सुभाष चंद्र)  
 अनु सचिव, वित्त विभाग

  
 (उमा शंकर सिंह)  
 विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग

- संख्या :- 1851 आ.न.यो/जी-8-2016, तदुद्दिष्ट
- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. महालेखाकार (वेकर्स लेखा अनुभाग), उओप्रओ, इलाहाबाद।
  2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
  3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
  4. सम्बन्धित कोषाधिकारी/सम्बन्धित नगर पालिका परिषद, उओप्रओ।
  5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उओप्रओ, लखनऊ।
  6. निदेशक, सांख्यिकी निदेशालय, उओप्रओ, लखनऊ।
  7. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
  8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
  
 (उमा शंकर सिंह)  
 विशेष कार्याधिकारी